



Office of the Cantonment Board
Chakrata Cantt.

कार्यालय छावनी परिषद, चकराता

Phone/फोन: 01360- 272220, Fax/फैक्स 01360- 272502

Email/ई-मेल: ceochak-stats@nic.in



File No. 10/8/SWM/Bye-Laws/135

Dated:- 09 September, 2022

सार्वजनिक सूचना

The general public is hereby informed that the Cantt. Board Chakrata in exercise of the Power Conferred by Rule 348 of Cantt. Act 2006 read with Rule 15 of Solid Waste Management Rules 2016 has prepared & approved the Draft of Solid Waste Management Bye Laws 2022 vide its resolution no. 13 dated 31.08.2022.

Now in this connection persons interested may pursue the Draft Solid Waste Management Bye Laws 2022 and may submit the comments/suggestion in the office of Cantonment Board, Chakrata during working hours within 30 days or via email (ceochak-stats@nic.in) from the date of publication of this notice. Draft is available on <http://chakrata.cantt.gov.in>.

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद चकराता द्वारा छावनी अधिनियम 2006 की धारा 348 व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छावनी परिषद चकराता के मसौदा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 तैयार कर, छावनी बोर्ड बैठक की संकल्प संख्या 13 दिनांक 31.08.2022 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति मसौदा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2022 पर अपनी टिप्पणी/सुझाव इस कार्यालय के कार्य दिसव में प्रकाशन तिथि के 30 दिनों के अन्दर दे सकते हैं अथवा कार्यालय की ई-मेल ceochak-stats@nic.in पर भी भेज सकते हैं। मसौदा छावनी भूमि प्रबन्धन (संशोधन) नियम 2022 कार्यालय की वेबसाइट <http://chakrata.cantt.gov.in> पर देख सकते हैं।

AR. 10/8/22

(आर.एन. मण्डल)

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, चकराता